2019/0057/3

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 40 / 2019

1 रणजीत पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी ख्यालियों की ढ़ाणी तहसील सुरजगढ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2 महेन्द्र पुत्र श्री खेमा जाति जाट निवासी ख्यालियों की ढाणी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
विरूद्व निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी
सुरजगढ़ जिला झुंझुनू प्रार्थना पत्र उनवानी
रणजीत बनाम राजस्थान सरकार वगैरह
अ.धा. 251ए आर.टी.एक्ट 1955 मुकदमा नम्बर
128 / 2018 निर्णय दिनांक 18.02.2019

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः— 09.12.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 128/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अदालत मातहत के यहां एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955 के तहत पेश किया जो अदालत मातहत ने निर्णय दिनांक 18.02.2019 के द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 03.01.2019 को सही मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अदालत मातहत ने दिनांक 02.06.2018 को तहसीलदार सुरजगढ़ से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाने के आदेश पारित किये थे जबकि तहसीलदार स्वंय ने इस बाबत निरीक्षण नही किया है। इस प्रकार प्रस्तुत तथाकथित रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राहय नही है। अदालत मातहत ने वैकल्पिक रास्ता होना तथा चाहा गया रास्ता कटानी रास्ते से निकटतम दूरी का नही होना एवं चाहे गये रास्ते में निर्माण होने बाबत तथ्य दर्ज किये है जो गलत है। जमीन हाल खसरा नम्बर 118 तथा खसरा नम्बर 162/118 व 163/118 तथा 161/118 पहले एक ही जमीन थी जिसका मूल खसरा नम्बर 118 था। जमीन हाल खसरा नम्बर 118 पहले अपीलांट व रेस्पोडेंट तथा विधाधर की सहखातेदारी की भूमि थी। आपस में विभाजन होने पर खसरा नम्बर 118 अपीलांट को 162/118 रेस्पोडेंट संख्या 2 को मिली। जमीन खसरा नम्बर 163/118 अपीलांट व रेस्पोडेंट तथा विधाधर की सहखातेदारी की है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक अपीलांट द्वारा चाहा गया अधिकांश रास्ता मौका पर चालु है और दिवार का निर्माण रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपीलांट का रास्ता बन्द करने के उदेश्य से किया है। जमीन का विधिवत विभाजन हुआ उस वक्त कटानी रास्ता से अपीलांट के खेत तक रास्ता का अंकन विधिक भूल से नही करवाया गया। अपीलांट ने जहां से रास्ता क्लेम किया है वही से अपीलांट का हमेशा रास्ता रहा है और जिस खेत से रास्ता क्लेम किया गया है वह खेत सहखातेदारी का खेत रहा है जिसका अपीलांट

उप-खण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

भी सहखातेदार रहा है। ऐसी सुरत में वैकल्पिक रास्ता होना व निकटतम दूरी नही होना का जो आधार निर्णय में दर्ज किया गया है वे गलत है। वास्तविक रूप से अपीलांट के लिये वैकल्पिक कोई रास्ता ही नही है। तहसीलदार की तथाकथित रिपोर्ट में जो वैकल्पिक रास्ता बताया गया है वह रास्ता आने जाने की इजाजत में एक व्यवस्था मात्र है, वास्तव में कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अपीलांट का अपने खेत में जाने के लिये रास्ता लेने का हक खेत खसरा नम्बर 162/118 में से विधिक रूप से भी है। खसरा नम्बर 163/118 की भूमि पर पुख्ता कुंआ है जहां तक मौके पर रास्ता है और कुऐं के पास रेस्पोडेंट संख्या 2 ने दीवार बनाकर अवरोध कारित किया है। अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते से ही अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 का आवागमन रहा है। ऐसी सुरत में अदालत मातहत को अपीलांट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना करते हुये विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अपील सारहीन है खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा धारा 251ए के अन्तर्गत रास्ता चाहा गया है। इस सन्दर्भ में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं आई. एल.आर. द्वारा तैयार की गई है। यहां यह भी विचारणीय है कि मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचित नही किया गया है। मौका रिपोर्ट पर ना तो अपीलांट के हस्ताक्षर है ना ही यह अंकन है कि अपीलांट ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता की अनुपस्थिति में तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की उपस्थिति में पुन मौका रिपोर्ट तैयार कर उभयपक्ष को गुणावगुण पर सुनकर

[illegible]
[illegible] राजस्व अपील [illegible]
[illegible]

पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.12.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर